

अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण ANNUAL IMMOVABLE PROPERTY RETURN

31.12.2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अचल संपत्ति (01.01.2024 तक) का विवरण
Statement of immovable property for the year ending on 31.12.2023 (as on 01.01.2024)

1. अधिकारी का नाम और सेवा जिससे अधिकारी संबंधित है (साफ अक्षर में) :
Name of Officer (in full) and service to which the officer belongs
2. वर्तमान पद Present Post held :
3. वर्तमान वेतन Present Pay :

जिला, सब डिवीजन, ताल्लुक और गांव का नाम जहां सम्पत्ति है Name of District, Sub-Division Taluk and village in which property is situated	संपत्ति का नाम व ब्यौरा Name and details of property		*वर्तमान मूल्य *Present Value	यदि संपत्ति अपने स्वयं के नाम पर नहीं है तो बताएं कि किसके नाम से है तथा उससे सरकारी कर्मचारी का संबंध क्या है ? If not in own name state in whose name held and his/her relationship to the Government Servant ?	संपत्ति कैसे अर्जित की गई? क्या खरीदी गई, पट्टे पर ली गई** बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से ली गई। तारीख जिसको अधिकार में ली गई व्यक्ति का नाम जिससे ली गई। How acquired whether by purchases, leas**, mortgage inheritance, gift, or otherwise, with date of acquisition and name with details of person/ persons from whom acquired	संपत्ति से वार्षिक आय Annual income from the property	अभ्युक्तियां Remarks
	आवासीय और अन्य भवनों Housing and other building	भूमि Lands					
1	2	3	4	5	6	7	8

जो खंड लागू नहीं है, उसे काट दिया जाए। Inapplicable clause to be struck out

- जहां मूल्य का सटीक आकलन नहीं वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अनुमानित मूल्य उल्लिखित किया जाए।
In case where it is not possible to assess the value accurately the approximate value in relation to present conditions may be indicated.
- अल्पकालीक पट्टे पर ली गई भी शामिल है। Includes short-term lease also
- कोई परिवर्तन नहीं या कोई वृद्धि नहीं या पिछले वर्ष की तरह शब्दों से बचा जा सकता है और सभी विवरण भरे जा सकते हैं
The wording 'No Change or No addition or as in previous year' may be avoided and all details filled up

टिप्पणी : घोषणा पत्र भरना तथा इसे वैश्वीय सिविल सेवा (आवरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(1) के अधीन सेवा में प्रथम नियुक्ति पर श्रेणी-I तथा श्रेणी- II (वर्ग(अ) एवं वर्ग (ब))के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है और इसके पश्चात इसे प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर भरा जाए जिसमें उसके नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर अर्जित, उत्तराधिकार में प्राप्त, पट्टे पर ली गई अथवा बंधक संपूर्ण अचल संपत्ति का विवरण दिया गया हो।

Note : The declaration form is required to be filled in and submitted by every member of Class I and Class II (Group 'A' and Group 'B') service under Rule 15(3) of the Central Civil Services (Conduct) Rules 1955 (now Rule 18(1) of the CCS (Conduct) Rules, 1964), on the first appointment to the service and thereafter at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any members of his family or in the name of any other person.

हस्ताक्षर Signature

दिनांक Date